उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 13569420241010

ग्राम क्रमांक : 135694 ग्राम का नाम (परगना) : नगरा(पैला) तहसील : मितौली जनपद : खीरी फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00046

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
228/1	1) कमलापति गुरूप्रसाद गार्जन गल्समहाविद्यालय ग्राम/नगरा द्वारा सोसाइटी कमलापति गुरूप्रसाद गार्जन सेवा/समिति प्रबन्धक श्रीमती कमला गार्जन पत्नी गुरूप्रसाद गार्जन मो गुरूआश्रम ग्रा नीमगांव		1410फ	228/1(13569402281001 12)	0.5200	1) 1/1	1) 0.5200	17 80
							0.5200	

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव पाँच दो शून्य शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - एक सात दशमलव आठ शून्य रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - शून्य दशमलव पाँच दो शून्य शून्य (हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) 1420फ.परवाना सी- न्यायालय श्रीमान परगनाधिकारी महोदय तखीमपुर खीरी वाद सं.175अं.धारा 143ज.वि.अधि. ग्राम नगरा कमलापति गुरू प्रसाद गार्जन गल्स महाविद्यालय ग्राम नगरा विकास क्षेत्र बेहजम जिला खीरी द्वारा सोसाइटी कमलापति गुरू प्रसाद गार्जन सेवा समिति मो.गुरूआश्रम ग्राम व पोस्ट खीरी द्वारा प्रबन्धक कमला गार्जन पत्नी

2) गुरूप्रसाद गार्जन निवासी मो.गुरू आश्रम ग्राम व पोस्ट नीमगांव जिला खीरी बनाम गांव सभा आदि में इस न्यायालय के आदेश दि.5.6.13के अनुसार आदेश हुआ कि ग्राम नगरा स्थित भूमि गाटा सं.228/1/ 0.520हे.ल.17.80को गैर कृषि प्रयोजन हेतु अकृषिक घोषित किया जाता है।ह.रका.11.6.13

Data Digitally Signed by: CHANDAN LAL RANA (RI OFFICE)
दिनांक/समय/स्थान: 16-10-2024 02:51:07 तहसील : मितौली
O यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक तिलौरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : SURENDRA PAL SINGH तहसील : मितौली
मुद्रित दिनांक एवं समय: 16-10-2024 02:51:07
O Not Applicable For Online Prints O उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वैरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अपना QR Code Scan करके किया जा सकता है।

प्राचार्य
कमलापति गुरुप्रसाद गार्जन गर्ल्स विद्यालय
ग्राम नगरा, विकास खण्ड बेहजम जिला–खीरी

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 13569420241011

ग्राम क्रमांक : 135694 ग्राम का नाम (परगना) : नगरा(पैला) तहसील : मितौली जनपद : खीरी फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00197

श्रेणी : ।-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण

खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)
229	1) कमलापति गुरूप्रसाद गार्जन सेवा समिति/प्रबन्धक श्रीमती कमला गार्जन पत्नी गुरूप्रसाद गार्जन/नि मो गुरूआश्रम ग्राम नीमगांव

खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण

(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष
1) राजस्व न्यायालय (तहसीलदार) /T20231043070196 9 /16-12-2023 /विक्रय 2) राजस्व न्यायालय (तहसीलदार) /T20231043070234 5 /30-01-2024 /विक्रय 3) राजस्व न्यायालय (तहसीलदार) /T20241043070078 0 /18-05-2024 /दान पत्र	1385फ

भूमि का विवरण

(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (है.)
229(135694022900012)	0.6360

खातेदार का अंश

(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (है.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
1) -	1) 0.6360	21.00
	0.6360	

कुल गाटे - एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव छ: तीन छ: शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - दो एक दशमलव शून्य शून्य रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - शून्य दशमलव छ: तीन छ: शून्य (हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण

(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या / अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक
1) राजस्व न्यायालय (तहसीलदार) /T20231043070196 9 /16-12-2023 /विक्रय /CHANDRIKA PRASAD /02-02-2024 2) राजस्व न्यायालय (तहसीलदार) /T20231043070234 5 /30-01-2024 /विक्रय /CHANDRIKA PRASAD /02-02-2024 3) राजस्व न्यायालय (तहसीलदार) /T20241043070078 0 /18-05-2024 /दान पत्र /JITENDRA SINGH CHANDEL /30-05-2024

खारिज किया गया

(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (है.)
1.1) मायादेवी/पत्नी चन्द्रभाल/नि. ग्राम (शेष क्षेत्रफल : 0.0000) 2.1) रामूराज/रामनरेश/नि. ग्राम (शेष क्षेत्रफल : 0.0000) 2.2) विनय कुमार/रामनरेश/नि. ग्राम (शेष क्षेत्रफल : 0.0000) 3.1) कमला गार्जन/गुरूप्रसाद गार्जन/नीमगांव (शेष क्षेत्रफल : 0.0000) 3.2) कमला गार्जन/गुरूप्रसाद गार्जन/नीमगांव (शेष क्षेत्रफल : 0.0000)	229(135694022900012)	1.1) 0.3180 2.1) 0.1590 2.2) 0.1590 3.1) 0.3180 3.2) 0.3180

दर्ज किया गया

(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (है.)
1.1) कमला गार्जन/गुरूप्रसाद गार्जन/नीमगांव 2.1) कमला गार्जन/गुरूप्रसाद गार्जन/नीमगांव 3.1) कमलापति गुरूप्रसाद गार्जन सेवा समिति/प्रबन्धक श्रीमती कमला गार्जन पत्नी गुरूप्रसाद गार्जन/नि.मो.गुरूआश्रम ग्राम नीमगांव	229(135694022900012)	1.1) 0.3180 2.1) 0.3180 3.1) 0.6360

प्राचार्य
कमलापति गुरुप्रसाद गार्जन महाविद्यालय
ग्राम नगरा, विकास खण्ड धौरहरा जिला-खीरी

कृषिक से अस्थिक (धारा 80) : 1431फ...परगना से...न्यायालय उपजिलाधिकारी महोदय मितौली वाद सं. T/80202402096З अं. धारा उ.प्र.रा.सं. 2006 आवेदक कमलापति गुरूप्रसाद गार्जन सेवा समिति में आदेश दिनांक 27/06/2024 को आदेश हुआ कि नगरा परगना पैला की गाटा सं. 229/0.636 हे. भूमि को कमलापति गुरूप्रसाद गार्जन सेवा समिति प्रबंधक श्रीमती कमला गार्जन पत्नी गुरूप्रसाद गार्जन नि.मो.गुरूआश्रम ग्राम नीमगाँव के नाम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(2) के अंतर्गत गैर कृषि प्रयोजनार्थ अकृषिक किये जाने संबंधी घोषणा की जाती है। ह.र.का. 29-06-2024 (डिजिटल हस्ताक्षर : JITENDRA SINGH CHANDEL/01-07-2024)

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

1) Bank of Baroda/21922/30-03-2023/187000 00/15301030202300332192З/रामूराज(रामनरेश), विनय कुमार(रामनरेश), रामूराज(रामनरेश), विनय कुमार(रामनरेश)

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

1) Bank of Baroda/21922/17-09-2023/187000/15301030202300332192З/रामूराज(रामनरेश), विनय कुमार(रामनरेश), रामूराज(रामनरेश), विनय कुमार(रामनरेश)

(19)अभुक्ति :

1) ऑनलाइन बंधक पत्र आवेदन संख्या : 15301030202300332192З- श्री रामूराज पुत्र रामनरेश, श्री विनय कुमार पुत्र रामनरेश, द्वारा मु०187000.00 रूपए ऋण लेकर ग्राम नगरा परगना पैला तहसील मितोली जिला सीरी की गाटा संख्या 229 (से० 0.6360हे०) , को Bank of Baroda बैंक शाखा Neemgaon के पक्ष में दिनांक 30-03-2023 से बंधक रखा है। ह र का 15-04-2023 (डिजिटल हस्ताक्षर : CHANDRIKA PRASAD/15-04-2023)

2) अबमुक्त बन्धक _खातादार रामराजू व विनयकुमार पुत्रगण रामनरेश नि.ग्राम गाटा सं. 229/0.636 हे. से बैंक आफ बडौदा शाखा नीमगांव से बन्धक मुक्त की जाती है । ह.र.का. 21-09-2023 (डिजिटल हस्ताक्षर : CHANDRIKA PRASAD/24-09-2023)

3) 22-1-15 (डिजिटल हस्ताक्षर : CHANDAN LAL RANA/26-12-2019)

4) बन्धक पत्र--- खातेदार रामराजू,विनयकुमार पुत्रगण रामनरेश नि.ग्राम कि खा0स0 210 पर गा0स0 229/ 0.636 का 1/2 भाग व खा0स0 89 पर गा0स0 454/0.089,458/0.061,502/0.142 का 1/2 भाग भूमि को बैंक आफ बडौदा शाखा नीमगाव के पक्ष में मु0 80,000/- में बन्धक की जाती है ol ह0र0का0 (डिजिटल हस्ताक्षर CHANDAN LAL RANA/26-12-2019)

5) बन्धक पत्रसे--खातेदार रामूराज पुत्र रामनरेश नि0ग्रा0 भूमि कि ख्रा0स0210पर गा0स0229/0.636हे.का 1/3भाग उ0प्र0स्ह0ग्रा0वि0बैंक लि0शाखा बेहजम के पक्ष मे मु020,000/-बन्धक दर्ज हो ol ह0र0का0 2.7 16 (डिजिटल हस्ताक्षर : CHANDAN LAL RANA/26-12-2019)

6) अबमुक्त बन्धक _खातेदार रामूराज पुत्र रामनरेश नि ग्राम गाटा सं 229/0 636 हे. से उ.प्र.सह.ग्राम वि.बैंक लि.शाखा बेहजम से बन्धक मुक्त की जाती है । ह.र.का. 24-01-2023 (डिजिटल हस्ताक्षर : CHANDRIKA PRASAD/27-01-2023)

पूर्व आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by: JITENDRA SINGH CHANDEL (RI OFFICE)
दिनांक/समय/स्थान: 16-10-2024 02:51:25 तहसील : मितौली
● यह उदरण तहसील इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : SURENDRA PAL SINGH तहसील : मितौली
मुद्रित दिनांक एवं समय: 16-10-2024 02:51:25
● Not Applicable For Online Prints ● उपरोक्त उद्धरण सतोनी कर वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।

तहसील नि...

प्राचार्य
कमलापति गुरुप्रसाद गार्जन महाविद्यालय
एकम नगरा, विकास खण्ड बेहजम जिला-सीरी

न्यायालय परगनाधिकारी लखीमपुर-खीरी।

वाद सं0 104 अन्तर्गत धारा 176 ज0वि0अधि0

ग्रामः- नगरा. परगनाः-पैला

तहसील लखीमपुर

जिला -खीरी।

कमलापति गुरू प्रसाद गार्जन गर्ल्स महाविद्यालय ग्राम नगरा परगना पैला खीरी।

बनाम

कामता प्रसाद आदि निवासीगण ग्राम नगरा परगना पैला तहसील लखीमपुर जिला-खीरी।

संशोधित परवाना अमलदरामद

तहसीलदार
लखीमपुर।

उपरोक्त वाद में इस न्यायालय के आदेश दिनॉक 9-3-11 व 17-3-11 के अनुसार आदेश हुआ है कि भूमि स्थित ग्राम नगरा परगना पैला के गाटा सं0-228 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा दाखिल कुरेजात के अनुसार कुरा नं0-1 गाटा सं0-228/1/0-520हे0 लगानी 17-80रू0 जो नजरी नक्शा में उत्तर की ओर लाल रंग से दर्शाया गया पर कमलापति गुरू प्रसाद गार्जन गर्ल्स महाविद्यालय ग्राम नगरा विकास क्षेत्र बेहजम जिला खीरी द्वारा सोसाइटी कमलापति गुरू प्रसाद गार्जन सेवा समिति मो0 गुरूआश्रम ग्राम व पोस्ट नीमगाव जिला खीरी द्वारा प्रबन्धक श्रीमती कमला गार्जन पत्नी गुरू प्रसाद गार्जन निवासी मो0 गुरू आश्रम ग्राम व पोस्ट नीमगांव परगना पैला का नाम तथा कुरा नं0-2 के गाटा सं0-228/2/2-341 हे0 लगानी 76-95रू0 जो नजरी नक्शा में दक्षिण की ओर सफेद रंग से दर्शाया गया है पर कामता प्रसाद पुत्र बाबूराम, श्रीमती लीलावती पत्नी रामसिंह, राकेश कुमार पुत्र शिवदत्त निवासी ग्राम नगरा परगना पैला का नाम अंकित किया जाये।

परवाना की दो प्रतियां इस आशय के साथ प्रेषित कि तदनुसार राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज कराकर परवाना की एक प्रति इस न्यायालय को वापस भेजना सुनिश्चित करें।

22.3.11

परगनाधिकारी
लखीमपुर।

प्राचार्य
कमलापति गुरुप्रसाद गार्जन महाविद्यालय
ग्राम नगरा, विकास खण्ड बहजम जिला-खीरी

न्यायालय परगनाधिकारी, लखीमपुर जिला खीरी

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0
ग्राम--नगरा परगना--पैला
तहसील लखीमपुर जिला--खीरी।

वाद सख्या--175

कमलापति गुरू प्रसादगार्जन गर्ल्स महाविद्यालय ग्राम नगरा विकासक्षेत्र बेहजम जिला खीरी द्वारा सोसाइटी कमलापति गुरू प्रसाद गार्जन सेवा समिति मो0 गुरूआश्रम ग्राम व पोस्ट खीरी द्वारा प्रबन्धक कमला गार्जन पत्नी गुरूप्रसाद गार्जन निवासी मो0 गुरू आश्रम ग्राम व पोस्ट नीमगाव जिला खीरी ।

बनाम

1--गाव सभा नगरा परगना पैला तहसील लखीमपुर जिला खीरी द्वारा प्रधान गाव सभा।
2--उ0प्र0 राज्य।

परवाना अमलदरामद

तहसीलदार
लखीमपुर।

उपरोक्त वाद में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 5.6.13 के अनुसार ओदश हुआ है कि ग्राम नगरा परगना पैला तहसील लखीमपुर जिला खीरी स्थित भूमि खाता सं0--33 की गाटा सं0--228/1/0--520हे0 लगानी 17.80 रू0 वार्षिक को गैर कृषि प्रयोजन हेतु अकृषिक घोषित किया जाता है।

अतः परवाना की दो प्रतियां इस आशय के साथ प्रेषित कि तद्नुसार राजस्व अभिलेखो में इन्द्राज कराकर परवाना की एक प्रति इस न्यायालय को वापस भेजना सुनिश्चित करें।

दिनांक :-- 06--06--2013

परगनाधिकारी
लखीमपुर।

प्राचार्य
कमलापति गुरुप्रसाद गार्जन महाविद्यालय
ग्राम नगरा, विकास खण्ड बेहजम, जि0--खीरी

दायप्रति-नकल आदेश दिनांक 27-6-24

न्यायालय- उपजिलाधिकारी

जनपद - लखीमपुर खीरी, तहसील - मितौली
फेप्यूटरीकृत आवेदन संख्या : T80202402096 3
आवेदक का नाम :- कमलापति गुरुप्रसाद गार्जन सेवा समिति
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
आदेश का प्रकार :- अंतिम आदेश

निर्णय

प्रस्तुत वाद कमलापति गुरुप्रसाद गार्जन सेवा समिति प्रबंधक श्रीमती कमला गार्जन पत्नी गुरुप्रसाद गार्जन निवासी मो0 गुरुआश्रम ग्राम नींमगोंव द्वारा धारा-80(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत योजित कर कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि स्थित ग्राम नगरा परगना पैला की गाटा संख्या-229/0.636हे0 कागजात है। उक्त गाटे को आवासीय प्रयोजन हेतु अकृषिक घोषित कराना चाहता है। साक्ष्य के रूप में खतौनी खाता संख्या-197, व सर्किल रेट की एक प्रतिशत शुल्क चालान की प्रति तथा शपथपत्र संलग्न किया है। वाद दर्ज कर तहसीलदार मितौली से आख्या मंगायी गयी, जो संलग्न पत्रावली है।

तहसीलदार मितौली की आख्या दिनांक 20.06.2024 में उल्लेख किया गया है कि भूमि स्थित ग्राम नगरा परगना पैला की गाटा संख्या-229/0.636हे0 पर प्रार्थी का नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त गाटों पर भूमि पर कोई कृषि कार्य नही हो रहा है। को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रषित की है। तहसीलदार मितौली की आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रस्तुत वाद में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली का नियम-85(2) प्रभावी होगा। आवेदक ने कृषि प्रयोजन के अतिरिक्त भूमि प्रयोग हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का एक प्रतिशत धनराशि सुसंगत शासकीय शीर्षक भारतीय स्टेट बैंक में मु0-16586रू0 जमा कर दिया है तथा मु0-50रू0 की न्यायालय फीस संलग्न की है। तहसीलदार मितौली की आख्या के आधार पर भूमि स्थित ग्राम नगरा परगना पैला की गाटा संख्या-229/0.636हे0 भूमि को प्रार्थी के नाम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(2) के अंतर्गत गैर कृषि प्रयोजनार्थ अकृषिक घोषित किया जाना विधि सम्मत है।

आदेश

अतः ग्राम नगरा परगना पैला की गाटा संख्या-229/0.636हे0 भूमि को कमलापति गुरुप्रसाद गार्जन सेवा समिति प्रबंधक श्रीमती कमला गार्जन पत्नी गुरुप्रसाद गार्जन निवासी मो0 गुरुआश्रम ग्राम नींमगोंव के नाम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(2) के अंतर्गत गैर कृषि प्रयोजनार्थ अकृषिक किये जाने संबंधी घोषणा की जाती है। उप धारा के अधीन घोषणा के दिनांक से 5वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तावित भूमि पर उक्त गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो धारा-80(2) के अधीन यह घोषणा व्यपगत हो जायगी। यह आदेश वादी द्वारा दिये गये शपथपत्र में वर्णित तथ्यों के अधीन होगा। उक्त शपथपत्र में वर्णित तथ्यों में कोई त्रुटि पायी जाती है तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक मितौली को भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही संचित अभिलेखागार हो।

दिनांक:- 27.06.2024

उपजिलाधिकारी मितौली
जनपद-लखीमपुर खीरी।

सत्य प्रतिलिपि

पेशकार
परगना अधिकारी
मितौली-खीरी

नकल प्रार्थना पत्र की सं0 703 व दिनांक 29-6-24
नकल तैयार करने का दिनांक 29-6-24
नकल जारी करने का दिनांक 29-6-24
टिकट का मूल्य 2=7.06
शब्दों की संख्या 2800 लगभग

प्राचार्य
कमलापति गुरुप्रसाद गार्जन महाविद्यालय
ग्राम नगरा, विकास खण्ड बेहजम जिला-खीरी

नकल आदेश छापा प्रति दिनांकित 15/2/11

न्यायालय परगनाधिकारी लखीमपुर-खीरी।

वाद सं0 104

अन्तर्गत धारा 176 ज0वि0अधि0

ग्राम:- नगरा परगना:-पैला

तहसील लखीमपुर जिला-खीरी।

1- कमलापति गुरूप्रसाद गार्जन गर्ल्स महाविद्यालय ग्राम नगरा विकास क्षेत्र बेहजम जिला खीरी द्वारा सोसायटी कमलापति गुरूप्रसाद गार्जन सेवा समिति मो0 गुरूआश्रम ग्राम व पोस्ट नीमगांव परगना पैला जिला खीरी द्वारा प्रबन्धक श्रीमती कमला गार्जन पत्नी श्री गुरूप्रसाद गार्जन निवासी मो0 गुरूआश्रम व पो0 नीमगाव परगना पैला जिला-खीरी।

-----वादी

बनाम

1- कामता प्रसाद पुत्र श्री बाबूराम } निवासीगण ग्राम नगरा परगना पैला
2- श्रीमती लीलावती पत्नी श्री रामसिंह } तहसील लखीमपुर जिला-खीरी।
3- राकेश कुमार पुत्र श्री शिवदत्त }
4- गाव सभा नगरा परगना पैला तहसील लखीमपुर जिला खीरी द्वारा प्रधान ग्राम पंचायत नगरा मज़कूर।

----- प्रतिवादीगण

निर्णय

प्रस्तुत वाद कमलापति गुरूप्रसाद गार्जन गर्ल्स महाविद्यालय ग्राम नगरा विकास क्षेत्र बेहजम जिला खीरी द्वारा सोसायटी कमला पति गुरूप्रसाद गार्जन सेवा समिति मो0 गुरूप्रसाद आश्रम ग्राम व पोस्ट नीमगांव परगना पैला जिला खीरी द्वारा प्रबन्धक, श्रीमती कमला गार्जन पत्नी श्री गुरूप्रसाद गार्जन निवासी मो0 गुरूआश्रम व पोस्ट नीमगांव परगना पैला तहसील लखीमपुर जिला-खीरी द्वारा अपनी मुश्तरिका खाते की भूमि गाटा सं0- 228/2-861 हे0 लगानी 94-74रू0 वार्षिक स्थित ग्राम नगरा परगना पैला के सम्बन्ध में बटवारे का वाद दायर किया है। वाद पंजीकृत किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया।

प्रतिवादीगण 1 ता 3 अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर वाद के समर्थन में अपना बयान तहरीरी प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण 1 ता3 ने अपने बयान तहरीरी में यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि में वादी का 4/11 के 1/2 भाग यानी रकबा 0-520 हे0 उत्तरी भाग पर काब्जि व दखील है। शेष दक्षिणी भूमि प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादीगण का यह भी कहना है कि यदि वादी का अंश पृथक कर दिया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही होगी।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैने पत्रावली का सम्यक अध्ययन अवलोकन किया तथा पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना गया। जिससे मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि सहमति विषयक बयान तहरीरी पूर्व में ही प्राप्त हो चुकी है। अतः वाद की सम्पूर्ण परिस्थितियो में दावा वादी डिग्री किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि भूमि स्थित ग्राम नगरा परगना पैला के गाटा सं0- 228/2-861 हे0 लगानी 94-74रू0 वार्षिक में वादी का 4/11 के 1/2 भाग यानी2/11 रकबा 0-520हे0 बमोजिब बाहमी विभाजन उत्तरी भाग व शेष भाग दक्षिणी प्रतिवादीगण 1 ता 3 का घोषित किया जाता है। तद्नुसार प्रारम्भिक डिग्री तैयार की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनाँक:- 15-2-2011

15.2.11
परगनाधिकारी
लखीमपुर।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनाँकित कर उद्घोषित किया गया।

15.2.11
परगनाधिकारी
लखीमपुर।

दिनाँक:-15-2-2011

नकल प्रार्थना पत्र की संख्या 188 व दिनांक 21/2/11
नकल तैयार करने का दिनांक 22/2/11
नकल जारी करने का दिनांक 22/2/11
टिकट का मूल्य 7
शब्दों की संख्या 150
प्रतिलिपि कर्ता 22/2/11
मिलान कर्ता

188
21/2/11

सत्य प्रतिलिपि
22/2/11
परगनाधिकारी, मजिस्ट्रेट
लखीमपुर

प्राचार्य
कमलापति गुरुप्रसाद गार्जन महाविद्यालय
ग्राम नगरा, विकास खण्ड बेहजम जिला-खीरी

नकल आदेश प्रति दि० 1082 - 5-6-13

न्यायालय परगनाधिकारी, लखीमपुर जिला खीरी

वाद संख्या- 175

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0
ग्राम–नगरा परगना–पैलू
तहसील लखीमपुर जिला–खीरी।

कमलापति गुरू प्रसादगार्जन गर्ल्स महाविद्यालय ग्राम नगरा विकासक्षेत्र बेहजम जिला खीरी द्वारा सोसाइटी कमलापति गुरू प्रसाद गार्जन सेवा समिति मो0 गुरूआश्रम ग्राम व पोस्ट खीरी द्वारा प्रबन्धक कमला गार्जन पत्नी गुरूप्रसाद गार्जन निवासी मो0 गुरू आश्रम ग्राम व पोस्ट नीमगाव जिला खीरी ।

बनाम

1–गाव सभा नगरा परगना पैला तहसील लखीमपुर जिला खीरी द्वारा प्रधान गाव सभा।
2–उ0प्र0 राज्य।

निर्णय

प्रस्तुत वादकमलापति गुरू प्रसादगार्जन गर्ल्स महाविद्यालय ग्राम नगरा विकासक्षेत्र बेहजम जिला खीरी द्वारा सोसाइटी कमलापति गुरू प्रसाद गार्जन सेवा समिति मं0 गुरूआश्रम ग्राम व पोस्ट खीरी द्वारा प्रबन्धक कमला गार्जन पत्नी गुरूप्रसाद गार्जन निवासी मो0 गुरू आश्रम ग्राम व पोस्ट नीमगाव जिला खीरी द्वारा धारा 143 के तहत वाद योजित करते हुए कहा है कि वाद भूमि स्थित ग्राम नगरा परगना पैला के खतौनी सन फसली 1420–1425 के खाता सं0–63 की गाटा सं0–228/1/0–520हे0 लगानी 17.80 रू0 वार्षिक पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। वादी का कहना है कि उक्त भूमि का उपयोग बतौर विद्यालय करना चाहता है। अन्त में वादी द्वारा अपनी उक्त भूमि को अकृषिक घोषित कराये जाने की याचना की गयी है।

उक्त भूमि के सम्बन्ध में तहसील से जांच आख्या मंगायी गयी। तहसीलदार लखीमपुर द्वारा उक्त के सम्बन्ध में आख्या ज0वि0अधि0 धारा 143 व नियम 135 उ0ड0ए0रूल्स के तहत प्रस्तुत करते हुए कहा है कि उक्त भूमि पर वादी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त भूमि पर वर्तमान समय में कृषि कार्य नही किया जा रहा है। वादी उक्त भूमि को अकृषित घोषित कराना चाहता है। अन्त में उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त के विरूद्व कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। वादी ने साक्ष्य में नकल जोत आकार पत्र 41 व 45 दाखिल किया है। वादी द्वारा प्राप्त तहसील आख्यानुसार वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है। अतः तहसीलदार की आख्यानुसार मेरा समाधान हो गया है कि प्रश्नगत भूमि कृषि प्रयोजनार्थ प्रयुक्त नही की जा रही है और कृषि इतर प्रयोजन हेतु उद्घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतएव ग्राम नगरा परगना पैला तहसील लखीमपुर जिला खीरी स्थित भूमि खाता सं0–63 की गाटा सं0–228/1/0–520हे0 लगानी 17.80 रू0 वार्षिक को गैर कृषि प्रयोजन हेतु अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक,लखीमपुर को भेजी जाय। परवाना अमलदारामद जारी हो।बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक :– 05 – 06–2013

परगनाधिकारी
लखीमपुर।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक :– 05 – 06–2013

परगनाधिकारी
लखीमपुर।

625 6/6/13

नकल तैयार करने का दिनांक 6/6/13

नकल तैयार होने का दिनांक 6/6/13

नकल प्रतिलिपि करने का मूल्य 7-00

नकल की संख्या 156

नकल प्रतिलिपि कर्ता 6/6/13

नकल प्रधान कर्ता

625 6/6/13

नकल प्रतिलिपि

06/6/13

अधिकारी/लिपिक

प्राचार्य
कमलापति गुरुप्रसाद गार्जन महाविद्यालय
ग्राम नगरा, विकास खण्ड बेहजम जिला–खीरी